**Generation of Power from Tidal Waves**

3778. SHRI BIRENDER SINGH RAO:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether some engineering firms have submitted certain proposals to the Government for generation of power from tidal waves;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) whether the proposals have since been considered by Government and if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SHRI K. C. PANT) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO 921 DATED 26-2-1974 RE. DEMAND FOR INCRLASE IN ROYALTY ON CRUDE OIL BY ASSAM GOVERNMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN). While laying on the Table of the House, the reply to Unstarred Question No 921 on 26-2-1974, I had stated in reply to parts (a), (b) and (c) of this question that the Assam Government had not demanded an increase in the royalty on crude oil produced in that State. Since then, I have come across a recent letter from the Chief Minister of Assam to the Minister of Petroleum and Chemicals making such a request The reply to this question may, therefore, be corrected to read as.

(a) and (b). A proposal for increasing the royalty on crude oil from the present rate of Rs. 15/- per tonne to Rs. 30/- per tonne with immediate effect, has just been received from the Chief Mimster of Assam and will be examined.

(c) This will not affect the selling prices of petroleum products for the present.

To the extent indicated above, I crave the indulgence of the House to correct the reply previously given. I express my regret for the same.

**12 hrs.**

MR. SPEAKER: Now we take up the call attention.

Shri Jagannath Mishra.

SEVERAL HON. MEMBERS: Rose—

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): We have given an adjournment motion regarding the firing in Patna. Five people have been killed. The CRP and the Army are still deployed there

MR. SPEAKER: Ordinarily such motions come after the call attention You know that and even then you get up every time like this.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: The rule is there that just after the Question Hour it has to be raised

MR. SPEAKER: But we have been following this practice for so long

---

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) आप पहले काल-अटेन्शन ले लीजिए, उस के बाद हमारा एडजार्नमेन्ट मोशन आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय . आप हमेशा के लिए इस बात को तय कीजिए—एडजार्नमेंट मोशन काल-अटेन्शन में पहले लेना है या बाद में लेना है ।

कुछ माननीय सदस्य काल अटेन्शन पहले लीजिए ।

**12.02 hrs.**

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**Reported non-payment of the minimum cane price to cane-growers in UP, Bihar and other States.**

SHRI JAGANNATH MISHRA (Madhubani): I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of

urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> Reported non-payment of the minimum cane price fixed by the Government of India to the cane-growers in Uttar Pradesh, Bihar and other States resulting in arrears to the tune of crores of rupees and stoppage of purchase of the standing cane crop under the society's zone.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI B. P. MAURYA): The minimum price of sugar cane payable by sugar factories to the cane growers is fixed for every season by the Central Government under Clause 3 of the Sugarcane (Control) Order 1966, issued under the Essential Commodities Act, 1955. The Orders provide for the payment of the cane price to the growers within 14 days of delivery of the cane

As on the 15th February, 1974, upto which date complete figures are available in the Ministry, the total price of cane purchased by the factories in the country during 1973-74 is Rs. 245.76 crores Against this, payments made by the factories amount to Rs. 193.24 crores, leaving a balance of Rs. 52 52 crores. Out of this, about Rs 46.29 crores represent the value of cane supplied to the factries during the the fortnight ending the 15th February, 1974 The arrears of cane price on that date in respect of cane purchases upto 31st January, 1974 would, therefore, be about Rs. 6.23 crores. This works out to 3.1% of the total value of the cane purchased. The percentage of arrears due on account of cane supplied upto 31st January was 4.3 during 1971-72 and practically Nil during 1972-73. The position had improved last year largely because of the instructions issued by the Reserve Bank of India at our instance to the commercial banks to operate the advances given by them to the factories in two accounts, one of which is to be set apart exclusively for payment of cane price.

Some of the State Governments, particularly U.P., and Bihar, have already necessary legislative powers to enforce timely payment of cane prices as if they are revenue arrears. They are being asked to take action under this law. Other State Governments which do not have similar legislation of their own are being periodically advised to undertake it.

No reports have been received in the Ministry of the factories having stopped purchase of sugarcane from within the allotted zones.

श्री जगन्नाथ मिश्र : श्रीमन्, कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। देश का अभ्युदय किसानों के अभ्युदय पर निर्भर करता है और किसानों का अभ्युदय कृषि पर। आज सरकार को जितनी चिन्ता शहरों के सजाने, ऊंची अट्टालिकाओं का अम्बार लगाने की है, क्या कृषि के विकास के लिये भी उसे वैसी ही चिन्ता है। इस का जवाब मिलेगा—नहीं, नहीं और नहीं।

गन्ने के लिये कृषि और किसान के नाम पर यदि कुछ किया भी जाता है तो वह दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। इस लिए कृषि और किसान की हालत दिन-प्रति-दिन बद से बदतर होती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में मैं, श्रीमन्, गन्ना उपजाने वाले किसानों की जो स्थिति आज सरकारी नीति के चलते है, उस की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यू० पी०, बिहार और अन्यान्य प्रान्तों में गन्ना उपजाने वालों की स्थिति बहुत चिन्तनीय है, दुखद है और हालत यहां तक पहुंच गई है कि ने अब गन्ना उपजाने से हिचकिचा रहे है। इस का असर देसी चीनी और देश पर क्या पड़ेगा—यह सोचने की बात है।

इसी प्रसंग में मैं इस बात की चर्चा भी उठाना चाहूंगा—गन्ने का जो उद्यम है, वह देश से काटन टेक्सटाइल के बाद दूसरा स्थान रखता है। इस में काम करने वालों की संख्या 1.5 लाख है। 216 फैक्टरियां हैं और इस में 700 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। सरकार को इस उद्यम से 180 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी प्राप्त होती है तथा इस उद्यम पर करीब 2 करोड़ लोग निर्भर करते है। अगर इस का संचालन ठीक ढंग से हो, इस को उचित प्रोत्साहन मिले तो यह कितना लाभप्रद होगा, यह सोचने की बात है। किन्तु मैं इसके

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

विपरीत क्या देख रहा हूं—जीवन के उपयोग की सभी चीजों की अपेक्षा गन्ने पर सब से ज्यादा टैक्स लगाया गया है और लेवी लगाने में भी डिसप्रपोर्शनेटली काम किया गया है। स्वतन्त्र चीनी और लेवी की चीनी पर अलग-अलग सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—गन्ने के उत्पादन पर इस का क्या एडवर्स असर पड़ सकता है और हम अपने गन्ने को कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं। एक्सपोर्ट कर के कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फारन-एक्सचेन्ज उपार्जन करने की कोशिश कर सकते हैं।

श्रीमन्, आप ने प्रश्न सं० 83 दिनांक 13-11-72 के उत्तर में बताया था कि गन्ने के दाम पर किसानों का कोई बकाया न रहेगा, इस के लिए सरकार ये-ये कार्रवाहियां करने जा रही है, जैसे—

Advising the State Governments from time to time to arrange for expeditious payment of cane dues by factories;

Advising such of the State Governments as have no provision in their enactments for recovering sugarcane price as arrears of land revenue to consider making such a provision;

Keeping in force Reserve Bank of India instructions to the scheduled commercial banks to bifurcate the accounts whereby a substantial portion of the advances given to sugar factories against sugar stocks is earmarked for payment of sugarcane price to the cane growers.

श्रीमन्, सरकार के इस आश्वासन के प्रसंग में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस आश्वासन का क्या हुआ जबकि किसानों के बकाये की राशि बढ़ती ही गई? केवल उत्तर प्रदेश में 1969–70 में बकाये की राशि 35 करोड़ की रही। 1970 में गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि 20 करोड़ रुपये की रही। ऐसी स्थिति है सरकार के आश्वासन की। (व्यवधान)

श्रीमन्, फैक्टरियों में चीनी का जो स्टाक होता है उसके 80 प्रतिशत की दर से बैंक से कर्ज मिलता है। लेकिन गड़बड़ यह होती है कि जो फैक्टरी प्राइवेट ओनर्स के द्वारा चलाई जाती हैं वे उस कर्ज की रकम को फैक्टरी के कामों में न लगाकर अपने निजी कामों में लगाते हैं और गन्ना उत्पादकों के साथ अन्याय करते हैं। गन्ने पर 80 पैसे प्रति क्वींटल के हिसाब से सेस लगता है जिसके लिए नियम यह है कि सड़क आदि के विकास के लिए उस रुपये को खर्च किया जाये किन्तु प्राइवेट ओनर्स ऐसा न करके उस रुपये का गबन करते हैं तथा अपनी सुख सुविधा में उस रुपये को लगाते हैं।

मंत्री महोदय ने प्वाइंट (4) में अपने जवाब में कहा है कि मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि कारखानों ने निर्धारित क्षेत्रों में गन्ने की खरीददारी बन्द कर दी है। इस प्रसंग में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दरभंगा जिले की फैक्टरी जो कोआपरेटिव से चलाई जाती है, की ओर आकर्षित करूंगा और कहूंगा कि फैक्टरी में क्रशिंग का काम बन्द है क्योंकि पैसा नहीं है और दूसरी ओर किसानों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित है कि जो उनकी फसल लगी हुई है उसकी बिक्री कैसे हो। लाखों रुपये सेस की धनराशि, तब के जो प्रोप्राइटर थे उनके पास जमा है। कोआपरेटिव होने पर भी, सरकार द्वारा संचालित होने पर भी बाकी रुपये की वसूली की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। अभी भी 17 लाख से ज्यादा की रकम उसके पास बाकी है। इतना ही नहीं, पहले गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हो, उसमें विकास हो इसके लिए सेन्टर से बीज और खाद की आपूर्ति होती थी लेकिन मालूम क्यों अब न बीज दिया जाता है न खाद दी जाती है। यह सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कृषि जगत को परेशान किए हुए हैं।

इन सारे प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि बराबर जो यह मांग होती रही है कि शुगरकेन फैक्टरीज का नेशनलाईजेशन हो जाये जिससे उनका संचालन ठीक से हो सके तथा किसानों के साथ इन्साफ हो सके—क्या और प्रश्नों के साथ सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी?

श्री शे० पी० मौर्य : श्रीमन्, जहां तक माननीय सदस्य के प्रारम्भिक प्रश्नों और शंकाओं का सम्बन्ध है उनका इस ध्यानाकर्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है

इसलिए मैं उन पर न जाकर उन्होंने जो दूसरे मुद्दे उठाये हैं जिनका इससे सम्बन्ध है, उन पर ही रहना चाहूंगा।

**श्री जगन्नाथ मिश्र** श्रीमन्, मेरा प्वाईंट ग्राफ ग्रार्डर है। मन्त्री जी का यह कहना किस प्रकार ठीक हो सकता है कि मैंने जो कुछ कहा है उसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं ने प्रश्न उठाया है कि गड़बड़ियो के कारण किसानों की राशि बकाया है जबकि ग्राप कहते है कि उस राशि को निपटाने के लिए हमारी यह यह व्यवस्था है—ग्राप इसका फैसला कर दें।

**अध्यक्ष महोदय** ग्राप उनका जबाब देने दीजिए। ग्रापने जो कालिंग ग्रटेन्शन का विषय दिया है उसपर तो उनको जबाब देना ही चाहिए।

**श्री बी० पी० मौर्य** श्रीमन माननीय सदस्य ने यह शंका प्रकट की है कि भारत सरकार ग्रौर प्रदेश की सरकारे ऐसी उदासीन लगती है जिससे गन्ने की उपज कम हो जायेगी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जाड़ा की बारिश करीब करीब नही के बराबर हुई है लेकिन इसके बावजूद जहां तक चीनी उत्पादन का सम्बन्ध है, वह बारिश फेल हो जाने के बाद भी 4 3 मिलियन टन ग्रवश्य हो जायगी। पिछले वर्ष के जो ग्राकडे है उनके मुकाबले मे यह उत्पादन काफी ग्रागे है।

इसके ग्रतिरिक्त 70 ग्रौर 30 प्रतिशत चीनी का जो ग्रनुपात है यानी फेयर प्राइस शाप्स पर बिकने के लिए 70 प्रतिशत चीनी जो लेवी मे लेते है ग्रौर 30 प्रतिशत चीनी खुले बाजार मे बिकने के लिए छोड़ देते हैं उससे गन्ने की उपज मे बढ़ोतरी ही हुई है। पिछले ग्राकड़े यह बतायेंगे कि जो सपोर्टिंग प्राइस मन्त्रालय ने निश्चित की थी उससे ज्यादा ही दाम किसान को, जो गन्ना पैदा करता है, मिले हैं।

जहां तक विदेश मे चीनी भेजने का सम्बन्ध है ग्रौर यहा पर इस्तेमाल करने के लिए चीनी का सम्बन्ध है, मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि विदेश को हम कितनी चीनी भेज पायेंगे वह ग्राज की स्थिति में तो नहीं बता सकते लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले में ग्रच्छी स्थिति रहनी चाहिए। जहां तक यहा पर इस्तेमाल के लिए चीनी का सम्बन्ध है उसमे भी पिछले साल से ग्रच्छी स्थिति रहेगी।

इस देश मे किसान जो गन्ना उगाता है उसकी ग्रपनी समस्यायें हैं। उन तमाम समस्याग्रो को सामने रखते हुए किसान जो गन्ना पैदा करता है उसका दाम 14 दिन के ग्रन्दर-ग्रन्दर जिस फैक्टरी मे वह गन्ना ले जाये वहा से मिल जाये हमारे मन्त्रालय का तो यह भी विचार है कि इस 14 दिन की ग्रवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया जाये। इस सम्बन्ध मे जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं 6–7 प्रदेशों की सरकारों ने जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ग्रान्ध्र प्रदेश—ऐसे कानून बना दिए हैं कि किसानो को जो गन्ना देते है 14 दिन के ग्रन्दर-ग्रन्दर फैक्टरी मे दाम मिल जाने चाहिए। ग्रगर किसान को दाम नहीं मिलते हैं तो उस शुगर फैक्टरी को उसी प्रकार से ग्रपराधी माना जायेगा जिस प्रकार से रेवेन्यू न देने पर ग्रपराधी माना जाता है। हमारे मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध मे ग्रौर प्रदेशो को भी सर्क्युलर दिया है कि वह भी इस तरह के नियम बनाये ताकि किसानो को उनके द्वारा पैदा किए हुए गन्ने के दाम तुरन्त मिल सकें।

**श्री जगन्नाथ मिश्र** नियमो का कार्यान्वियन हो रहा है क्या? (व्यवधान)

**श्री बी० पी० मौर्य** : जहा तक हमारे मन्त्रालय का सबध है, हम प्रदेशीय सरकारो को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वे ऐसे नियम बनायें जो किसानो के हक में हो ग्रौर उन नियमो का पालन करें। उन नियमो का पालन भी ग्रधिक स ग्रधिक होता है।

जहा तक जोन्स का सवाल है, हमारे मन्त्रालय मे ऐसी कोई भी सूचना नहीं ग्राई है कि जो जोन्स हैं वहा पर फैक्टरी किसानों का जो गन्ना वहां पर ग्राता है उसको नही ले रही हैं।

[श्री डी० पी० मौर्य]

माननीय सदस्य ने राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठाया है। पहले भी लिखित प्रश्न के उत्तर में इस सदन में और दूसरे सदन में कहा जा चुका है कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई है उस रिपोर्ट पर सरकार की तमाम समस्यायें उठी है उनपर ध्यान दे रही है और पूरे देश के आधार पर किस-किस तरह की नीति लाभदायक होगी—किसानो के लिए, उपभोक्ता के लिए और देश के लिए भी—इसपर मंत्रालय मे विचार विमर्श चल रहा है।

**श्री विभूति मिश्र** (मोतिहारी) अध्यक्ष, जी यह पहली दफा है कि गन्ने की कीमत का बकाया का हिसाब एक साथ दिया हुआ है। नही तो पहले फैक्ट्रीवाइज सारे भारत का दिया जाता था कि जिस से पता चलता था कि किस फैक्ट्री के पास कितना बकाया है। तो एक साथ राशि देकर गड़बड़ी की है। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि 1971-72 का सब रुपया चुकता हो गया। इस मे लिखा है प्रैक्टिकली निल। इस का क्या मतलब होता है? कुछ बाकी भी हो सकता है। कमप्लीटली निल नही कहा है।

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)** मान्यवर, वही रह गया था जो हाई कोर्ट मे रोका गया था और वह भी डेढ़, दो करोड़ रु० है 20 करोड़ रु० में से, बाकी सब अदा हो चुका है।

**श्री विभूति मिश्र** . अध्यक्ष महोदय, गरीबो का ही पैसा रह जाता है, धनी लोगो का नही, और गरीब किसान इतने मे ही मारा जाता है, इसलिये प्रैक्टिकली निल की भाषा गोलमाल है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहा एक रोड फंड निकाला गया जिस के अनुसार आधा पैसा किसान दे, आधा पैसा मिल दे और दोनो का जितना पैसा हो उतना केन्द्रीय सरकार दे। तो केन्द्रीय सरकार ने पैसा दिया नही, मिल ने भी नही दिया जब कि किसानो से पैसा काट कर मिल मे जमा हो गया। वह पैसा आज तक किसानो को रिफंड नही किया गया। यह हमारी केन्द्रीय सरकार का नियम है। कीमत तय करती है सेन्ट्रल गवर्नमेंट और उस को इम्प्लीमेंट कराती है स्टेट गवर्नमेंट से। जो बच्चा पैदा करे उस की जवाबदेही है कि बच्चे का पालनपोषण करे। न कि बच्चा पैदा हम करें और पालनपोषण दूसरा करे। इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस बात की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिये कि उस को इम्प्लीमेंट भी करावे। पब्लिक डिमान्ड रिकवरी ऐक्ट के अनुसार जो किसानो का पैसा बाकी हो उस को सरकार अदा करा दिया करे।

मै यह मानता हू कि गन्ने की कीमत मे बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और इस के लिये सरकार को जितनी बधाई दी जाय थोड़ी है। लेकिन एक कारण है कि गन्ने की कीमत इसलिये इस समय दे रहे है कि इनकी गर्दन पर तलवार लटक रही है। गन्ना मिल वाले सोचते हैं कि नेशनलाइज कर देंगे इसलिये धड़ाधड़ पैसा दे रहे है।

एक गड़बड़ी यह हो रही है कि फैक्ट्री वाले मिल के सुधार का काम नही कर रहे है। जो सामान उन की फैक्ट्री का टूट जाता है उस को एनकेन प्रकारेण चला रहे हैं। इन को डर है कि किसी दिन सरकार नेशनेलाइज कर लेगी।

इसलिये मै चाहता हू कि किसानो के हित मे यदि यह चाहते हैं कि गन्ने की खेती बढ़े, रिकवरी ज्यादा बढ़े तो सरकार को चाहिये कि इस मामले मे जल्दी से जल्दी फैसला कर ले कि चीनी मिलो को नेशनेलाइज करेंगे कि नही। इस वक्त जितनी को-आपरेटिव फैक्टरीज चल रही है वह तो ठीक है, लेकिन मार्केटिंग यूनियन के हक मे मैं नही हू, उन के यहा पैसा बाकी रह जाता है और प्राइमरी सोसाइटी वाले बड़ा गड़बड़ करते है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि सरकार इस मे काफ़ी सुधार लाये।

इस के अलावा जो यह रिकवरी के लिये प्राइवेट सेक्टर के हाथ मे फ़ैक्ट्रीज हैं तो रिकवरी सेन्टर्स पर उन्ही का कैमिस्ट रहता है। सरकार का कोई कैमिस्ट नही रहता है। जहां रिकवरी होती वहां फैक्ट्री का नियुक्त किया हुआ आदमी ही रहता है और वही निकाल कर देता है कि कितने परसेंटेज रिकवरी है और उस के ऊपर किसानों को कीमत मिलती है। सरकार और अ[illegible] का

कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिये मेरी मांग है कि रिकवरी के ऊपर सरकार और किसान का कोई नियंत्रण होना चाहिये क्योंकि उसी की बेसिस पर किसानों को कीमत मिलती है।

जो किसानों का गन्ना अभी खेत में खड़ा है सरकार कोई डेट फिक्स कर दे कि इतने दिनों में वह पेरा जायगा। क्योंकि पछवा हवा चल रही है और किसान का गन्ना खेत में सूख रहा है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी गन्ना पेरा जाय। और सरकार किसानों के गन्ने को लादने के लिये पर्याप्त मात्रा में डीजल दे ताकि ट्रक से ढो कर किसानों का गल्ला मिल में चला जाय। और जितना पैसा किसानों का बाकी है उस के बारे में सरकार ठीक से हिदायत करे, और साथ ही सरकार इस का फैसला कर ले कि इस उद्योग का नेशनेलाइज करेगी कि नहीं? अगर नहीं करेगी तो फैक्टरीज को हिदायत करे कि अच्छी मशीनरी लगा कर फैक्ट्री की उन्नति करे और फैक्ट्री वाले किसानों को खाद, बीज और एडवांस दिया करें।

**श्री बी० पी० मौर्य** : श्रीमन्, गन्ना पैदा करने वाले किसान को दाम अच्छे मिलें इस के लिये सरकार केवल सपोर्टिंग प्राइस को निश्चित करती है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि पछले साल का तजुर्बा यह बताता है कि किसान को सपोर्टिंग प्राइस से अधिक दाम मिले। निश्चितपूर्वक यह नहीं कहते कि इतना दाम ही मिलना चाहिये। उस से ज्यादा किसान को दाम मिलते हैं।

जहां तक रिकवरी का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया, तो मैं उन को बताना चाहता हूं कि हमारे इन्स्पेक्टर वहां रहते हैं, इसकी देख रख की व्यवस्था रहती है, ठीक तरह से उस की छानबीन की जाती है।

**श्री विभूति मिश्र** : पौइंट आफ आर्डर। रिकवरी पौइंट पर कभी आप का इंस्पैक्टर नहीं रहता है। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी यू० पी० के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इन से पूछिये।



**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मौर्य जी तो बहुत गरम थे, जब मेम्बर थे, अब वह शान्त हो गये आप भी मिश्र जी इधर आ जाइये।

**श्री विभूति मिश्र** : मेरा कहना है कि रिकवरी पौइंट पर इन का इन्स्पेक्टर कभी नहीं रहता है बल्कि फैक्ट्री का कैमिस्ट रहता है।

**श्री बी० पी० मौर्य** : जैसा कि मैं ने कहा इस की व्यवस्था है, और ज्यादा सख्ती के साथ होनी चाहिये। इस के बारे में मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सख्ती के साथ इस की व्यवस्था और की जायेगी। लेकिन आज की परिस्थितियों में भी व्यवस्था है, पर मैं आप से सहमत हूं कि और ज्यादा सख्ती के साथ होनी चाहिये। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि सख्ती के साथ यह देखा जायगा कि किसी भी तरह से किसान के साथ कोई अन्याय न हो।

जहां तक चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है इस पर मैंने अभी कहा था बहुत मजबूती के साथ और तेजी के साथ विचार हो रहा है। उस की रिपोर्ट आ चुकी है कमीशन की, अनन्तिम रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी और फाइनल रिपोर्ट 27 फरवरी को आ चुकी है, विचार विमर्श चल रहा है पूरे उद्योग की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला लिया जायगा।

**श्री विभूति मिश्र** : रोड फंड के लिये किसानों से पैसा काटा गया, न मिल ने दिया और न केन्द्रीय सरकार ने दिया, किसान का पैसा मिल में पड़ा हुआ है, उस को दिलाने के लिये आप क्या कोशिश करने जा रहे हैं। इस का जवाब अध्यक्ष जी दिलवाइये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जवाब कैसे दिलाऊं। आप बार बार खड़े हो जाते हैं इसलिये परेशानी का कारण बनते हैं।

**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष जी मैं सदन में इसीलिये आया हूं कि किसानों के हित की बात यहां रखूं। आप कहिये तो मैं सदन से चला जाऊं। लेकिन मैं जनता का काम करने के लिये आया हूं

[श्री विभूति मिश्र]

और यह काम करेंगे। आप कहिये तो मैं इस्तीफा दे दूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप काफी सिनियर मेम्बर हैं। जोश में क्यों आ जाते हैं।

**श्री विभूति मिश्र** मैं जनता का काम करने के लिये आया हूं, आप मिनिस्टर से जवाब नहीं दिलाते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि किसानों से रोड फंड के लिये पैसा काटा गया उस को वापस दिलाने के लिये सरकार क्या कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : जवाब दिया उन्होंने, मैं सुनता रहा हूं।

जो भोजन है उससे बाहर जा कर आप नेचरलाइजेशन में पड़ गए। क्या हो गया आपको? बैठिए आप, अच्छा नहीं लगता है आप से इस तरह से झगड़ना। आप तशरीफ रखिये।

**श्री हरि किशोर सिंह** (पूर्वरी) मंत्री महोदय के जवाब को मैं सुन रहा था। आखिरी बात उन्होंने स्पोर्ट प्राइस की कही है जो उन्होंने गन्ने की तय की है। मैं जानना चाहता हूं कि यह स्पोर्ट प्राइस उन्होंने किस आधार पर तय की है? क्या सरकार को मालूम है कि किसान को फर्टिलाइजर दुगुने भाव पर, डीजल तिगुने भाव पर खरीदना पड़ता है? अगर सरकार ने इस बात को ध्यान में रख कर इस माल की स्पार्ट प्राइस तय नहीं की है तो उस स्पोर्ट प्राइस को तय करने का क्या आधार रहा है? अगर इनको उसने ध्यान में रखा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अलग अलग क्यों तय की है या हरियाणा के लिए अलग क्यों तय की है, कहीं पर तेरह रुपये और कहीं पर साढ़े बारह रुपये क्यों नग्न की है?

रिकवरी की बात बहुत जोरदार तरीके से श्री विभूति मिश्र ने उठाई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें अपनी मशीनरी का बहुत विकास नहीं कर रही हैं। इनका नतीजा यह हो रहा है कि वैं जंक होती जा रही है और रिकवरी इस वजह से कम होती है। इस वास्ते रिकवरी के आधार पर सरकार गन्ने का मूल्य तय करती है तो किसान को बहुत नुकसान होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है? मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीयकरण सरकार करने जा रही है या नहीं या कब वह करेगी। मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं कि उन मिलों की मशीनरी की स्थिति क्या है और मशीनरी खराब होने की वजह से क्या शूगर केन की रिकवरी कम होती है या नहीं और अगर होती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसान को उसके लिए नुकसान उठाने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है?

एक दूसरी स्थिति की ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। कि हर दो तीन वर्ष के बाद जब गन्ने की अच्छी फसल होती है, गन्ने का एकड़ेज बढ़ता है तो किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। मैं किसान परिवार से आता हूं। गन्ने की खेती करता हूं। मैं उसी इलाके से आता हूं जहां शूगर फैक्ट्री भी है। वहां लोगों को मजबूर होकर गन्ना जला देना पड़ता है। सरकारी आंकड़े कुछ भी हों, सरकारी अधिकारी कुछ भी कहें लेकिन जब भी ज्यादा गन्ने की खेती होती है, गन्ने की फसल अच्छी होती है तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। इसका फिर नतीजा यह होता है कि गन्ने की एकड़ेज में कमी हो जाती है। किसान मजबूर हो कर गन्ने की खेती करता है बहुत से इलाकों में। फिर जब गन्ने का एकड़ेज अच्छा हो जाता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। यह निश्चित बात है। सरकार जो जवाब दे, भले महोदय अपने अफसरों से आंकड़े मंगा कर जो चाहें कहें, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, भुक्तभोगी हूं।

दो तीन वर्ष पहले सरकार ने गन्ने के विकास के बारे में एक पमरीचा कमेटी नियुक्त की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या रिपोर्ट आ गई है? गन्ने के अनुसन्धान पर सरकार ने कितनी राशि व्यय की है? उसका क्या परिणाम निकला है और उससे किसानों को कितना लाभ हुआ है पिछले तीन वर्ष में?

श्री बी० पी० मौर्य : मैंने निवेदन किया है कि सपोर्ट प्राइस जो निश्चित की गई पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी उससे ज्यादा किसानों को मिला और मिल रहा है। जहां तक रिकवरी का सवाल है यह बात अपनी जगह सत्य है कि हमारे यहां जिन्नी चीनी मिलें हैं उनको आधुनिक तरीके से जितना आगे बढ़ना चाहिये था नहीं बढ़ी हैं। उसके बहुत से कारण हैं। सरकार के ध्यान में यह विषय है और इस विषय पर बहुत ही चिन्तित है---मैं बता दूं कि शीघ्र इस के बारे में सरकार विशेष ध्यान देगी।

श्री हरि किशोर सिंह : स्पोर्ट प्राइस किस आधार पर तय की है। जो डीजल आदि के भाव बढ़े हैं क्या उसको सामने रखा है या नहीं ?

श्री बी० पी० मौर्य : आप ज्यादा जानते हैं इसके बारे में क्योंकि खुद गन्ना उगाते हैं। मैं शौकिया थोड़ा सा गन्ना उगाता हूं। जब स्पोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है उस में सभी बातें ध्यान में रखी जाती हैं जोकि माननीय सदस्य को चिन्तित कर रही हैं। उसी आधार पर स्पोर्ट प्राइस रखी जाती है और देखा जाता है कि उससे कम किसान को न मिले ताकि उसको नुकसान न हो। उनके अन्य प्रश्नों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) पहली बात तो यह है कि गन्ना खेतों में खड़ा है और मिल मालिकान खरीद नहीं रहे हैं, न मिलों में ले जा पा रहे हैं न तो उसको पेर ही पा रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी मैं उनको देना चाहता हूं। पंजाब में बटाला कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री है, वहां पर भी गन्ने के जो भाव निश्चित हुए हैं उससे कम भाव पर गन्ना लिया जा रहा है। और अब निश्चित भाव पर भी गन्ना लिया नहीं जा रहा है। इंडियन शूगर मिल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बारह मार्च 1974 के बुलेटिन में यह बात कही गई है। सैकड़ों टन गन्ना पड़ा हुआ है। दाम साढ़े बारह रुपये तय किए गए हैं, माने गए हैं लेकिन आठ रुपये ही दिये जा रहे हैं। फिर भी अमृतसर, गुरदासपुर आदि में मिलें गन्ना ले नहीं रही हैं।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की भी यही स्थिति है। एसोसिएशन की यह रिपोर्ट है जिसको मैं पेश करना चाहता हूं। इस में यह कहा गया है :

"... the price in Farrukhabad has crashed to Rs. 7 per quintal against the official rate of Rs. 13.25 per quintal."

गोरखपुर, देवरिया आदि में जो शूगर फैक्टरीज हैं उन्होंने गन्ना लेना बन्द कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि चालीस लाख रुपया जो फैक्ट्री स्वयं सरकार के कंट्रोलरशिप में हैं डायमंड शूगर फैक्ट्री पिपराइच किसानों का उनकी तरफ बकाया है और नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। जितने ट्रापिकल रीजन्स में फैक्ट्रीज हैं वहां जितनी ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज हैं या कोआपरेटिव सेक्टर की फैक्ट्रीज हैं या सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं वे सभी इंतजार कर रही हैं कि रिजर्व बैंक ने जो क्रेडिट मक्वीज पालिसी अपनाई है उसको वह कब चेंज करेगी। वे चाहती हैं कि उनको चीनी के स्टाक पर, रिहैबिलिटेशन के लिए कब यह पालिसी चेंज हो और कब कर्जा मिले। चूंकि इनफलेशन क्रेडिट स्क्वीज बढ़ने से होगा इस वास्ते रिजर्व बैंक ने चेंज करने से इन्कार कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिल मालिकान ऐसा करके दबाव नहीं डाल रहे हैं कि पालिसी को चेंज किया जाए ?

टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है। टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शूगर कास्ट को बढ़ाने की बात चल रही है।

सरकार पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह फौरन शूगर के दाम को बढ़ाये, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो हम गन्ने की सात या साढ़े सात परसेंट रीकवरी पर गन्ना खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में कोआपरेटिव सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और जायंट स्टाक सैक्टर में जो 285 शूगर मिलें हैं, उन सब ने इस बात का फैसला कर लिया है कि अब हम गन्ना नहीं लेंगे---तब सरकार मजबूर हो जायगी, किसान

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

और मजदूर आन्दोलन करेंगे और सरकार को अपनी पालिसी को चेंज करना पड़ेगा।

क्या यह सत्य है कि कानपुर के शुगर मर्चेन्ट्स ने खाद्य मंत्रालय को इस आशय का तार दिया है कि सरकार फारेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए जो शुगर एक्सपोर्ट करने जा रही है उस को वह बन्द करे, क्योंकि हमारे देश में शुगर का उत्पादन 38-1/2 लाख टन हो गया है और हमारा प्राडक्शन उस के मुताबिक नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार शुगर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के दबाव में आ जायेगी, या वह ज्यादा फारेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए शुगर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? आज हमें फारेन एक्सचेंज की बहुत जरूरत है। पेट्रोलियम प्राडक्ट्स का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम एक मिलियन टन चीनी का निर्यात कर दें तो हम को 1 मिलियन टन पेट्रोल मिल सकता है।

सारी दुनिया में शुगर का भाव 200 परसेंट तक बढ़ गया है। इस बारे में यू० के० या यू० एस० एस० आर० के साथ हमारा जो समझौता है, वह दिसम्बर 1974 में खत्म होने जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम उस समझौते का खत्म कर के इन्टरनेशनल फ्री मार्केट में जायेंगे, जिससे हम ज्यादा फारेन एक्सचेंज अर्न कर सकें, और अपने किसानों और मजदूरों को ज्यादा पैसा दे सकें। जिस तरह विश्व के नव उत्पादन करने वाले देशों ने अपना एक संगठन बनाया है क्या उसी तरह सरकार संसार के सभी शुगर प्राडयूसिंग कन्ट्रीज का एक संघ बनाने की दिशा में प्रयत्न करेगी जिस का सुझाव गियाना के नेता, डा० जगन, ने दिया है? जैसा कि मैंने कहा है, सारी दुनिया में चीनी का भाव बढ़ रहा है और हम को फारेन एक्सचेंज की जरूरत है। इसलिए क्या सरकार ऐसा संघ बना कर चीनी को एक्सपोर्ट कर के फारेन एक्सचेंज अर्न करने के बारे में कोई कदम उठाने जा रही है?

मैंने इस सदन में बार-बार कहा है कि सरकार चीनी के उत्पादन, स्टाक और वितरण के लिए समुचित व्यवस्था करे। आज भी शुगर के नाम पर लूट मची हुई है और सारे बाजार की कुंठित किया जा रहा है। चूंकि खंडसारी के दाम कम हैं और शुगर के दाम ज्यादा हैं, इस लिए खंडसारी की शुगर में मिलावट हो रही है। क्या सरकार खंडसारी गुड़ और चीनी के बारे में कोई निश्चित पालिसी अख्तियार करने जा रही है कि, क्या प्रोडक्शन हो, क्या नियंत्रण हो और क्या उत्पादन का कोटा हो तथा कितनी चीनी बफर स्टाक में नियन्त्रित कर रखी जाय।

सरकार को भार्गव कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने के लिए बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती है। जब तक वह रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक हम टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखती हैं।

क्या सरकार शुगर के नैशनलाइजेशन के सवाल पर गम्भीरता के साथ विचार करेगी? क्या वह यू० के० और यू० एस० एस० आर० के साथ हुए समझौतों को खत्म कर के इन्टरनेशनल फ्री मार्केट में शुगर का एक्सपोर्ट कर के फारेन एक्सचेंज अर्न करने का यत्न करेगी?

मैं चाहता हूं कि खाद्य मंत्री मेरे इन प्रश्नों का कैटेगारिकल जवाब दें।

श्री डी० पी० यादव: उत्तर प्रदेश की डायमंड शुगर मिल ने 2 परवनी को गन्ना लेना बन्द कर दिया उस क्षेत्र के गन्ने को दूसरी मिलों की तरफ डाइवर्ट किया गया है, ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। करीब 16 74 लाख रुपया इस मिल की तरफ बकाया था। उस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 लाख रुपये की गारंटी देकर 4 लाख रुपये लेबर के सम्बन्ध में और 7 लाख रुपये मशीनरी को सुधारने के सम्बन्ध में—उस को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। माननीय सदस्य ने जो और रिपोर्ट दी है, उन के बारे में हमारे इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं उन को निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की तमाम

परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता निकालेगी जिस से गन्ना पैदा करने वाले किसानों को गन्ना जलाना न पड़े और वह बेकार न जाये।

जहां तक विदेशों मे चीनी भेजने का प्रश्न है, हमारी यह कोशिश रहेगी कि उचित दाम मिलने पर जितनी चीनी हम आसानी से विदेशों को भेज सकते है, वह भेजें। किसी विशेष मध, या किन्हीं व्यापारियों के दबाव में आकर सरकार इस नीति मे किसी भी तरह से तब्दीली करने वाली नहीं है।

**श्री नरसिंह नारायण पांडे :** दिसम्बर, 1974 में यू०के० और यू०एस०ए० के साथ हमारा कान्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। क्या सरकार उस को कान्टीन्यू करेगी, या इन्टरनैशनल फ्री मार्केट में जायेगी, जहां ऊंचे दाम मिल रहे हैं।

**श्री बी० पी० मौर्य :** अगर माननीय इस बात को यहीं रहने दें, तो अच्छा है। ये सब बातें हमारे ध्यान में है। मैं उन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम देश को किसी भी तरह से घाटे में नहीं रहने देंगे। विदेशों में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, यह बात भी हमारे ध्यान में है। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

जहां तक भार्गव कमीशन की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, उस रिपोर्ट को 27 फरवरी को पेश किया गया था। उसका ध्यानपूर्वक पठन-पाठन किया जा रहा है। माननीय सदस्य नियमों को मुझ से ज्यादा समझते हैं। नियम के अनुसार 6 महीने के अन्दर अन्दर यह रिपोर्ट इस सदन के सामने आ जानी चाहिये। हमारे मंत्रालय का यह प्रयत्न रहेगा कि वह रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र इस सर्वश्रेष्ठ सदन के सामने आ जाये। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस रिपोर्ट को दबा कर रखा जाये।

जहां तक मिलावट का प्रश्न है, उस के बारे में एसेंशल कामोडिटीज एक्ट और दूसरे कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। प्रदेश सरकारें इस कलंक के प्रति जागरूक हैं। सरकार भी इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी भी रूप में मिलावट न होने पाये, जिस से उपभोक्ता और समाज को नुकसान न होने पाये।

12.45 hrs.

## MOTION FOR ADJOURNMENT

### Firing in Patna

MR. SPEAKER: Next item, papers to be laid on the Table

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) Sir, the situation in Bihar is going from bad to worse Thirty persons have been shot down and more than 200 injured.. (*Interruptions*). Even the train services have been suspended. CRP and army have been deployed to maintain law and order .(*Interruptions*).

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** (ग्वालियर). अध्यक्ष महोदय, वहां जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस के लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। .. (**व्यवधान**)।

**अध्यक्ष महोदय :** आप सब लोग बोल रहे है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप बैठ जाइये। (**व्यवधान**)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, हमारा तो काम रोको प्रस्ताव है। कांग्रेस के मेम्बरों को क्या तकलीफ हो रही है? आप उन को शान्त कीजिए। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** आप लोग बैठ जायें।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, आप एक एक को बुलाइए।

**अध्यक्ष महोदय :** बुलाने की बात नहीं है। मैं आप से बात करना चाहता हूं। आप बैठें। शान्ति से मेरी बात सुनें। आप लोगों ने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है। कल आप ने कहा था कि मिनिस्टर स्टेटमेंट दे

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** क्या कांग्रेस वालों ने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है? ये काहे को बोल रहे हैं?

(**इंटरप्शंस**)

**अध्यक्ष महोदय :** आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप बैठिए। मुझे बात तो करने दीजिए